प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शराब के अपराध में लिप्त, गैंगेस्टर एक्ट में वांछित पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के तीन इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.07.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 156/2021 धारा 2ख(11) गैंगेस्टर एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर, सीतापुर में वांछित पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये के तीन इनामिया अभियुक्तो 1.रन्नू पुत्र लालजी 2.कल्लू पुत्र छोटू 3.चिरंजू पुत्र सकटू सर्व नि0गण ग्राम जगना थाना इमलिया सुल्तानपुर को डल्लूपुर मार्ग तिराहे के पास से गिफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन के अपराध कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण करीब दो माह से वांछित चल रहे थे। जिनकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तीनो अभियुक्तों में प्रत्येक पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तो द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम/पता-

1. रन्नू पुत्र लालजी नि0 ग्राम जगना थाना इमलिया सुल्तानपुर
2. कल्लू पुत्र छोटू नि0 ग्राम जगना थाना इमलिया सुल्तानपुर
3. चिरंजू पुत्र सकटू नि0 ग्राम जगना थाना इमलिया सुल्तानपुर

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इंद्रजीत सिंह
2. उ0नि0 श्री आलोक कुमार
3. का0 सखिन सिंह
4. का0 राहुल कुमार

5. का0 दीपक चौधरी

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त रन्नू, कल्लू व चिरंजू उपरोक्त-</u>

1. मु0अ0सं0 336/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 127/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 156/2021 धारा 2ख(11) गैंगस्टर एक्ट थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर